L. A. BILL No. I OF 2024.

TO SPECIFY CERTAIN COMMUNITIES AS THE SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES IN RELATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA AND TO PROVIDE FOR RESERVATION OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND FOR RESERVATION OF POSTS FOR APPOINTMENTS IN PUBLIC SERVICES AND POSTS UNDER THE STATE, TO SUCH SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES IN THE STATE OF MAHARASHTRA FOR THEIR ADVANCEMENT AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १ सन् २०२४।

महाराष्ट्र राज्य के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के कतिपय समुदाय को विनिर्दिष्ट करने और महाराष्ट्र राज्य में ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को उनकी उन्नति के लिये राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन लोकसेवा में नियुक्तियों और पदों में आरक्षण के लिये और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के कतिपय समुदाय विनिर्दिष्ट करने और महाराष्ट्र राज्य में ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, २०२४ कहलाए।

(२) यह **राजपत्र** में इस अधिनियम के प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा ।

परिभाषाएँ।

२. (१) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश के संबंध में " प्रवेश प्राधिकरण " का तात्पर्य, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए जिम्मेवार शैक्षणिक संस्थाओं के पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्तियाँ रखनेवाले प्राधिकरण से है ;

(ख) लोक सेवाओं तथा पदों के संबंध में, " नियुक्ति प्राधिकरण " का तात्पर्य, ऐसी सेवाओं या पदों की नियुक्ति करने के लिए सशक्त किये गये प्राधिकरण से है ;

(ग) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, धारा ७ के अधीन नियुक्त किये गये सक्षम प्राधिकारी से है ;

(घ) " शैक्षणिक संस्थाओं " का जिसमें, महाराष्ट्र राज्य में शैक्षणिक संस्था सम्मिलित है जो सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रणाधीन है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, सुसंगत महाराष्ट्र अधिनियमों द्वारा या के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय समेत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करनेवाले से है ;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों कि लिए, " निजी शैक्षणिक संस्थाओं " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, उन संस्थाओं से है जिन्हें या तो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व या उसके पश्चात्, सरकार द्वारा रियायती दरों या किसी अन्य आर्थिक रियायतों में सरकारी भूमि के प्ररूप में सहायता दी जाती है या जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुज्ञा प्राप्त, पर्यवेक्षणाधीन या नियंत्रणाधीन है ;

(ङ) " स्थापना " का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी सरकारी कार्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक प्राधिकरण या विश्वविद्यालय या कंपनी, या निगम या सहकारी संस्था जिसमें, सरकार या किसी सरकारी सहायता प्राप्त किसी संस्था द्वारा पूंजी शेयर धारण किया गया है से है।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों कि लिए, "सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं" की अभिव्यक्ति में, संस्थाओं या उद्योगों जिन्हें या तो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व या के पश्चात्, सरकार द्वारा रियायती दरों या अन्य किसी आर्थिक रियायतों में सरकारी भूमि के प्ररूप में सहायता दी जाती है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुज्ञप्ति प्राप्त, पर्यवेक्षणाधीन या नियंत्रणाधीन है वह भी सम्मिलित होगा ;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(छ) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(ज) " लोक सेवाओं तथा पदों " का तात्पर्य, राज्य के कार्यों के साथ जुड़े हुए सेवाओं और पदों से है तथा इसमें सेवाओं और पदों समेत,—

(एक) स्थानीय प्राधिकरण ;

सन् १९६१ का महा. २४।

(दो) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्था जिसमें सरकार शेयर धारक है ;

सन् २०१३ का १८।

(तीन) केंद्र अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या के अधीन स्थापित बोर्ड या निगम या सांविधिक निकाय जो सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रणाधीन है, या कंपनी अधिनियम, २०१३ में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी है ;

(चार) सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रणाधीन शैक्षणिक संस्था जो सरकार समेत महाराष्ट्र अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से सहायता अनुदान प्राप्त करती है ; और

(पाँच) इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक पर, सरकारी आदेशों द्वारा जो आरक्षण लागू था और जो उप-खंड (एक) से (चार) के अधीन आवृत्त नहीं है के विषय में कोई अन्य स्थापना शामिल होंगी ;

(झ) " आरक्षण " का तात्पर्य, राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्गों के व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए सीटों और लोक सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के लिए आरक्षण से है ;

(ञ) " सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्गों " का तात्पर्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ क के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य के प्रयोजनों के लिये इस अधिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों से है ;

(ट) "राज्य" का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है।

(२) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों, का वही अर्थ होगा, जो महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (**विमुक्त जाति**), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, २००१ में क्रमशः उनके समनुदेशित अर्थ से होगा।

सन् २००४ का महा. ८।

राज्य में सामाजिक रूपसे तथा शैक्षणिक रूपसे पिछड़े वर्ग।

३. मराठा समुदाय, एतद्द्वारा, राज्य के प्रयोजन के लिये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है ।

लागू होना।

४. (१) यह अधिनियम निम्न को छोड़कर, राज्य के अधीन लोक सेवाओं में की जानेवाली सभी नियुक्तियों और पदों की, सीधी भरती को लागू होगा,—

(क) चिकित्सा, तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में उच्च विशेषित पदों ;

(ख) स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जानेवाले पदों ;

(ग) पैंतालीस दिनों की अवधि से कम न हो अस्थायी नियुक्तियाँ ; और

(घ) किसी संवर्ग या श्रेणी में जो एकल (एकाकी) पद है।

(२) यह अधिनियम, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये लागू होगा।

(३) राज्य सरकार, क्रमशः धारा २ के खंड (घ) और (च) के स्पष्टीकरण में यथा उपबंधित कोई सहायता देने के लिए किसी शैक्षणिक संस्था या किसी स्थापना के साथ करार करने या नवीकरण करते समय ऐसी शैक्षणिक संस्था या स्थापना के द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शर्त सम्मिलित करेगी।

(४) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की कोई भी बात महाराष्ट्र राज्य लोक सेवाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति)**, खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, २००१ और महाराष्ट्र निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति)**, खानाबदोश जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण) अधिनियम, २००६ के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों को उपबंधित आरक्षण प्रभावित नहीं होगा ।

सन् २००४ का महा. ८।

सन् २००६ का महा. ३०।

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रवर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए राज्य के अधीन लोकसेवा में नियुक्ति और पदों के लिए सीटों का आरक्षण।

५. (१) किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या के आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन,—

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से अन्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं समेत, शैक्षणिक संस्थाओं में, चाहे वह सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, कुल सीटों के दस प्रतिशत; और

(ख) राज्य के अधीन लोकसेवाओं में सीधी भर्ती में कुल नियुक्तियाँ और पदों के दस प्रतिशत, समेत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए स्वतंत्र रूप से आरक्षित रखे जायेंगे :

परंतु, उपर्युक्त आरक्षण, भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन इस निमित्त सरकार द्वारा, समय-समय से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षित पदों के लिए लागू नहीं होगा।

(२) नवोन्नत वर्ग के विशिष्ट तत्व इस अधिनियम के अधीन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को लागू होगा और इस अधिनियम के अधीन आरक्षण उन व्यक्तियों को लागू होगा जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के जो निम्न नवोन्नत वर्ग में नही आते है ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, ''नवोन्नत वर्ग'' की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, सरकार द्वारा, जो व्यक्ति नवोन्नत वर्ग में आते हैं उसे इस निमित्त समय-समय पर, जारी साधारण या विशेष आदेशों द्वारा यथा घोषित नवोन्नत वर्ग में आनेवाले व्यक्ति से है।

आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।

६. धारा ५ में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों या सदस्यों के दावे, लोक सेवाओं में अनारक्षित सीटें, और नियुक्तियाँ तथा पदों के लिए जो गुणागुण के आधार पर भरे जायेंगे, वह भी विचार विमर्श में लिये जायेंगे, और जहाँ ऐसे वर्गों से संबंधित छात्र या सदस्य जिसे गुणागुण के आधार पर चयनित किये गए हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों और नियुक्तियाँ की संख्या किसी भी मार्ग से प्रभावित नहीं होंगी।

सक्षम प्राधिकारी।

७. (१) सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गये नियमों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे क्षेत्र के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी।

(२) सक्षम प्राधिकारी, विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

आरक्षित रिक्तियों का अग्रनयन।

८. (१) यदि किसी भर्ती वर्ष के संबंध में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षित रिक्ति भरी जानी बाकी है तो, ऐसी रिक्ति सीधी भर्ती के मामले में पाँच वर्षों तक अग्रनीत की जायेगी :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक को पदों को भरने के संबंध में यदि कोई सरकारी आदेश, संकल्प, परिपत्र और कार्यालयीन ज्ञापन प्रवृत्त है तब, वही सरकार द्वारा उपान्तरित या प्रतिसंहृत किये जाने तक, प्रवृत्त बने रहेंगे :

परंतु यह और भी कि, यदि मंजूर पदों को हर प्रत्येक आरक्षित प्रवर्ग के लिये कम से कम एक पद आबंटित करना पर्याप्त नहीं होता है तब, आरक्षित पद, इस निमित्त विहित या उपांतरित किये गये सरकारी रोस्टर आदेशों या नियमों के अनुसरण में, मूल चक्रानुक्रम द्वारा लागू करके भरे जायेंगे ।

(२) जब, कोई रिक्ति उप-धारा (१) में यथा उपबंधित अग्रनयीत की गई है तो, वह उस भर्ती वर्ष में जिसमें वह अग्रनयीत की गई है, संबंधित व्यक्तियों के वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों के कोटे के सामने नहीं गिनी जायेगी :

परंतु, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, ऐसी अपूरित रिक्तियों को भरने के लिये, विशेष भर्ती मुहिम शुरू कर सकता है और यदि ऐसी रिक्तियाँ ऐसी विशेष भर्ती मुहिम शुरू करने के बाद भी भरी नहीं जाती है तो, जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या में भरी जायेंगी।

अधिनियम का अनुपालन करने का दायित्व और शक्तियाँ ।

९. (१) सरकार, लिखित में आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दायित्व के साथ, प्रत्येक प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी के अधीन किसी अधिकारी को सौंपेगी।

(२) सरकार, उसी रीत्या में, प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकेगी, जो ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को समनुदेशित किये गये ऐसे कर्तव्य का प्रभावी रूप से निर्वहन करने के लिये, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को आवश्यक हो।

शास्ति ।

१०. (१) कर्तव्य या दायित्व सुपुर्द किया गया कोई प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जो जानबूझकर इस अधिनियम के प्रयोजन के उल्लंघन करता है या उसे विफल करने के आशय से कार्य करता है, तो दोषसिद्धि पर, नब्बे दिनों तक बढ़ाये जा सकने वाले कारावास या पाँच हजार रुपये तक बढ़ाये जा सकनेवाले जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(२) कोई भी न्यायालय, सरकार द्वारा इस निमित्त सरकार या प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी को छोड़कर, इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अभिलेखों को मंगाने की शक्ति ।

११. जब सरकार के ध्यान में यह बात आती है या ध्यान में लायी जाती है कि, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित किसी व्यक्ति पर प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन निर्मित नियमों या इस निमित्त जारी सरकारी आदेशों के अननूपालन के कारण प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो वह, किसी प्रवेश प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसा अभिलखों को मंगा सकेगा और ऐसा समुचित आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

जाति प्रमाणपत्र और विधिमान्यता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया ।

१२. महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति),** खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्ग जाति प्रमाणपत्र (जारी और सत्यापन करने के विनियम) अधिनियम, २००० और महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति)** खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्ग जाति प्रमाणपत्र (जारी और सत्यापन करने के विनियम) नियम, २०१२ के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के मराठा समुदाय के लिये जाति प्रमाणपत्र और वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये लागू होंगे। सन् २००१ का महा. २३ ।

चयन समिति में प्रतिनिधित्व ।

१३. सरकार, आदेश द्वारा, लोक सेवाओं और पदों की नियुक्ति के लिये चयन किये गये व्यक्तियों के प्रयोजनार्थ, चयन, जाँच और विभाग समिति में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित अधिकारियों के नामनिर्देशन का उपबंध कर सकेगी।

अनियमित प्रवेश तथा नियुक्तियाँ शून्य होंगी ।

१४. इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किये गये कोई भी प्रवेश या नियुक्तियाँ शून्य होंगी।

सक्षम प्राधिकारी लोक सेवक होगा ।

१५. धारा ७ के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थांतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। सन् १८६० का ४५ ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाई का संरक्षण ।

१६. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अधीन सद्भावपूर्वक कृत या किए जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए, सक्षम प्राधिकारी या उसके अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

१७. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि जिसमें यह रखा गया है उस सत्र में या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन किसी नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये, और उस आशय का अपना विनिश्चिय, **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं तो नियम, ऐसे विनिश्चिय की **अधिसूचना** के प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभाव हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

१८. (१) इस अधिनियम के उपबंध, ऐसे मामलों को लागू नहीं होंगे जिसमें, चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भण से पहले ही शुरू की गई है, और ऐसे मामलों का निपटान विधि के उपबंधों और सरकारी आदेशों के अनुसार उसी प्रकार किया जायेगा जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भण के पूर्व स्थित थे। व्यावृत्तियाँ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, चयन प्रक्रिया शुरू की गई समझी जायेगी, जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन,—

(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर भर्ती की जानी है और ऐसी लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, साक्षात्कार शुरू हो चुका है; या

(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के आधार पर भर्ती की जानी है और ऐसी लिखित परीक्षा शुरू हो चुकी है।

(२) इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारम्भण से पूर्व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशों और जिसमें प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही शुरू की गई है ऐसे मामलों को लागू नहीं होंगे और ऐसे मामले ऐसे प्रारम्भण के पूर्व स्थित विधि के उपबंधों और सरकारी आदेशों के अनुसार बरते जायेंगे।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई समझी जायेगी जहाँ,—

(एक) किसी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाना है और ऐसी प्रवेश परीक्षा के लिये प्रक्रिया, शुरू हो चुकी है ; या

(दो) प्रवेश परीक्षा के आधार पर से अन्य प्रवेश के मामले में प्रपत्र भरने के लिये अंतिम दिनांक व्यपगत हो चुका है।

१९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है, तो सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो ऐसी बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

सन् २०१८ का महा. ६२ ।

२०. (१) महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश तथा राज्य के अधीन लोकसेवाओं में नियुक्तियों या पदों के लिए सीटों का) आरक्षण अधिनियम, २०१८ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्तियाँ।

(२) महाराष्ट्र साधारण खंड अधिनियम की धारा ७ के उपबंध निरसन प्रभावी होने संबंधी लागू होंगे । सन् १९०४ का १।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राज्य, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने में अग्रणी राज्य रहा है। ऐसे उपायों के दायरे में, राज्य ने, ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में, राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में, प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण और राज्य में लोक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए पदों के आरक्षण के उपबंध किए हैं।

२. स्वतंत्रता से पहले, वर्ष १९०२ में, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने दो अधिसूचनाओं के माध्यम से मराठा समुदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण दिया था। इसी प्रकार, तत्कालीन मुंबई सरकार द्वारा जारी दिनांकित २३ अप्रैल १९४२ के संकल्प द्वारा, लगभग २२८ समुदायों को मध्यवर्ग और पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया था, जिसमें मराठा को उसके साथ संलग्न सूची में क्रमांक १४९ पर दर्शाया गया है।

३. जून २०१७ में, महाराष्ट्र सरकार ने, न्यायमूर्ति एम. जी. गायकवाड़ (सेवानिवृत्त) (''गायकवाड़ आयोग'') की अध्यक्षता में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से अनुरोध किया था कि अन्य बातों के साथ-साथ संदर्भ की शर्तों के अनुसार, मराठा समुदाय के पिछड़ेपन और अन्य संबंधित पहलूओं की जाँच करे । १३ नवंबर २०१८ की अपनी रिपोर्ट में, गायकवाड़ आयोग ने सिफारिश की थी कि मराठा वर्ग के नागरिकों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया जाए और उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद १५ (४) और अनुच्छेद १६ (४) के अधीन, आरक्षण का लाभ दिया जाए।

४. सन् २०१८ में, महाराष्ट्र सरकार ने, संग्रहित गायकवाड़ आयोग द्वारा संग्रहित की गई सामग्री और डाटा के आधार पर, महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटों और लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए) ३० नवंबर २०१८ को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, २०१८ (सन् २०१८ का महाराष्ट्र ६२) अधिनियमित किया था ।

सन् २०१८ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने, २७ जून २०१९ के आदेश के जरिए, (डॉ. जयश्री पाटील बनाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री २०१९ ४ मुंबई सीआर ४८१) उन्होंने कहां है कि, गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में गायकवाड़ आयोग द्वारा सिफारीश के अधीन राज्य द्वारा मराठा समुदाय के लिए अलग आरक्षण का उपबंध करना उचित था, किंतु, आरक्षण का हिस्सा घटाकर आरक्षण प्रदान किया गया है।

५. मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने दिनांक ५ मई, २०२१ के न्यायनिर्णय (डॉ. जयश्री पाटील बनाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (२०२१) ८ एससीसी १) के माध्यम से, उक्त अधिनियम के शैक्षणिक संस्थानों और लोक सेवाओं में पदों के उपबंधों में मराठा समुदाय को आरक्षण देनेवाला है और उसे संविधान के दायरे से बाहर माना गया है। उक्त न्यायनिर्णय के विरूद्ध एक समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई और एक सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रलंबित है।

६. ५ मई २०२१ के अपने न्यायनिर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि गायकवाड़ आयोग उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में, निर्धारित कानूनी स्थिति की गलत समझ पर आगे बढ़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक मामला मराठा समुदाय को ५० प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने के लिए असाधारण स्थिति बनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि २०१८ अधिनियम गायकवाड़ आयोग

की रिपोर्ट पर आधारित था और इसलिए, २०१८ अधिनियम भी ५० प्रतिशत सीमा से अधिक के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बनाती है। उच्चतम न्यायालय ने गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट और उसमें अपनाई गई कार्यप्रणाली में कुछ कतिपय कमियाँ पाई, जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि मराठा पिछड़े थे और सार्वजनिक सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि राष्ट्रीय आयोग/राज्य आयोग की पिछली रिपोर्टों में मराठों को अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने या अलग से आरक्षण देने की सिफारिश नहीं करने की जांच करना गायकवाड़ आयोग के संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत नहीं है, की वे सही थे या नहीं। आगे यह देखा गया है कि, गायकवाड़ आयोग को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था कि हाल के वर्षों में क्या हुआ कि मराठा एक पिछड़ा वर्ग बन गया था। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि, गायकवाड़ आयोग जिस निष्कर्ष पर पहुंचा था, वह उसके सामने मौजूद डाटा और सामग्री से सामने नहीं आया था। इन और अन्य आधारों पर, उच्चतम न्यायालय ने २०१८ अधिनियम की धारा २(ञ), धारा ४(१)(क) और धारा ४(१)(ख) को संविधान के दायरे से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि, यह राज्य के लिए खुला है कि वह यह पता लगाने के लिए सुसंगत, डाटा संग्रहित करे कि क्या कोई विशेष वर्ग या समुदाय पहले लिए गए किसी भी प्रतिकूल निर्णय के बावजूद पिछड़ा वर्ग है।

७. उच्चतम न्यायालय की विभिन्न टिप्पणियों के अवलोकन में, राज्य सरकार ने, न्यायमूर्ति एस. बी. शुक्रे (सेवानिवृत्त) शुक्रे आयोग की अध्यक्षता के अधीन में, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का संदर्भ निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ दिया है :-

(१) संवैधानिक जनादेश, आरक्षण विधियों और सर्वोच्च की टिप्पणियों सहित जयश्री लक्ष्मणराव पाटील बनाम मुख्यमंत्री और अन्य (२०२० की सिविल अपील संख्या ३१२३ और संबंधित मामल में उच्चतम न्यायालय के अभिकथनों समेत उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायनिर्णय में कहा है कि, न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के अनुरूप वर्तमान संदर्भ में आरक्षण के लाभों के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का पता लगाने में अपनाए जाने वाले मानदंड और मापदंडों का निर्धारण करना।

(२) संवैधानिक जनादेश, आरक्षण कानूनों और देखिए जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री और अन्य का मामला अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों सहित अदालतों के विभिन्न निर्णयों के अनुरूप वर्तमान संदर्भ में आरक्षण के लाभों के लिए लागू की जानेवाली असाधारण परिस्थितियों और असाधारण स्थितियों को परिभाषित करना ;

(३) ताजा मात्रात्मक और अन्य डाटा और जानकारी संग्रहित करना और राज्य पिछड़ावर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त समितियों सहित किसी भी स्रोत द्वारा भूतकाल में एकत्र किए गए डाटा और जानकारी की जाँच और निरीक्षण करना और समय- समय पर, मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने और उन्हें पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने के लिए, ऊपर निर्धारित मानदंडों और मापदंडों को लागू करना;

(४) उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित ५० प्रतिशत आरक्षण दायरे से अधिक को उचित ठहरानेवाले मराठा समुदाय के संदर्भ में असाधारण परिस्थितियों और या असाधारण स्थितियों के अस्तित्व का पता लगाना ;

(५) केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के अधीन, सार्वजनिक रोजगार में मराठा समुदाय के प्रतिनिधित्व की सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को सरकार द्वारा वित्त पोषित पर्याप्तता निर्धारित करना ;

(६) रिकॉर्ड, रिपोर्ट, जनगणना और अन्य उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय की जनसंख्या का अनुपात अभिनिश्चित करना ;

(७) पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त समितियों की पिछली रिपोर्टों को संशोधित करना, मराठा समुदाय के संदर्भ में बापट समिति ने उसमें मौजूद किसी भी कमियों, त्रुटियों और कमियों का विश्लेषण करने के साथ-साथ मराठा समुदाय की परिस्थितियों का प्रतिगमन प्रभार भी शामिल करना ;

(८) राज्य सरकार द्वारा गठित भोसले समिति के परिच्छेद ३३.६ में निर्धारित पहलुओं और शर्तों पर विचार, मूल्यांकन और निर्धारण करना, जो निम्ननुसार है :–

(एक) मराठा जनसंख्या के वास्तविक वंचित वर्ग के संदर्भ में सामाजिक पिछड़ेपन का पुनर्मूल्यांकन करना,

(दो) मराठा वर्ग के हाल ही मे प्रतिगमन के संदर्भ में शैक्षणिक पिछड़ेपन की फिर से जांच करना ;

(तीन) मराठा वर्ग के हाल ही मे प्रतिगमन के संदर्भ में सामाजिक पिछड़ेपन की फिर से जांच करना ;

(चार) शैक्षिक पिछड़ेपन के वास्तविक प्रतिशत की पुनः जाँच करना ;

(पाँच) गायकवाड़ आयोग द्वारा सामने आए आर्थिक पिछड़ेपन के पहलुओं को प्रतिस्थापित करना ;

(छह) शिक्षा में मराठों की तुलना में खुले वर्ग के प्रतिनिधित्व के अनुपात के पहलू की जांच करना ;

(सात) सेवाओं में मराठों की तुलना में खुले वर्ग के प्रतिनिधित्व के अनुपात के पहलू की जांच करना;

(आठ) शिक्षा और सेवाओं में मराठों की तुलना में खुली श्रेणी के प्रतिनिधित्व के अनुपातहीन असंतुलन का पता लगाना ;

(नौ) खुले प्रवर्ग की जनसंख्या की तुलना में मराठों के आंकड़े प्रस्तुत करना;

(दस) विशेष रूप से वर्ष २००८ के बाद मराठों के हाल के प्रतिगमन का पता लगाना ;

(ग्यारह) अग्रणी मराठा वर्ग, जैसे राजनेता, व्यवसायी, उद्योगपति, पेशेवर, शिक्षाविद्, आदि और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठों के वास्तविक प्रतिशत का पता लगाना ;

(बारह) मराठों के लिए पहले के पिछड़ा वर्ग आयोगों का तुलनात्मक अध्ययन करना और ऐसे आयोग की रिपोर्टों की कमियों, यदि कोई हो, का गहन विश्लेषण करना;

(तेरह) अन्य खुले ईडब्ल्यूएस की तुलना में मराठों के आर्थिक पिछड़ेपन के अंतर की मात्रा पर विचार करना (ताकि उपवर्गीकृत/एक श्रेणी बनाना) ;

(चौदह) अन्य वर्गों की तुलना में महाराष्ट्र और बाहरी राज्यों में आईएएस, आईपीएस जैसे उच्च सेवाओं में मराठों के सटीक आंकड़ों का पता लगाना ;

(पंद्रह) ऐसे अन्य सहायक और अनुपूरक संदर्भ जिन्हें राज्य अपने विवेक से उचित समझे;

(९) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना ; जिन्हें राज्य सरकार इसके बाद इस संदर्भ में आयोग को संदर्भित कर सकती है ;

(१०) तथ्यों को और अवलोकन दर्ज करके राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अवलोकन और इस प्रकार उपयुक्त सिफारिशें करना।

(क) इसके अलावा आयोग, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों और अन्य प्राधिकारी, संगठन या व्यक्ति जो आयोग की राय में उनकी सहायता कर सकते हैं ; ऐसे किसी भी स्रोत से ऐसी जानकारी या आँकड़े प्राप्त करें जिन्हें वे अपने उद्देश्य के लिए आवश्यक या प्रासंगिक ऐसे रूप और तरीके से प्राप्त कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें ;

(ख) विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित करके उनकी सलाह लेना और प्राप्त करना और जब भी मात्रात्मक डाटा के विश्लेषण और आयोग के कुशल और गुणात्मक कामकाज के लिए आवश्यक महसूस किया जाए तो मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों की सहायता प्राप्त करना ;

(ग) महाराष्ट्र राज्य के ऐसे हिस्सों और/या देश के ऐसे स्थानों का दौरा करने के लिए उप-समिति या प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों का दौरा या प्रतिनियुक्ति करें, जिन्हें कोई जानकारी या डाटा या दस्तावेज या अन्यथा प्राप्त करने के लिए आवश्यक, या सुविधाजनक माना जा सकता है ;

(घ) जांच के दौरान जब भी आवश्यक पाया जाए, व्यक्तियों द्वारा दिए गए सबूतों और तर्कों को रिकॉर्ड करें।

८. आयोग ने पूरे महाराष्ट्र राज्य में, व्यापक सर्वेक्षण किया। आयोग ने विभिन्न मानदंडों के आधार पर बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर गहन सर्वेक्षण करने के लिए वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक का उपयोग किया और मराठा समुदाय बनाम खुले वर्ग समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित ताज़ा मात्रात्मक समसामयिक डाटा संग्रहित किया है।

आयोग ने कुशल डाटा संग्रह के लिए कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा १,९६,२५९ प्रगणकों के विशाल कार्यबल के जरिए १,५८,२०,२६४ घरों का पर्याप्त डाटा संग्रहित किया है। सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई सभी घरेलू जानकारी को मजबूत एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड (एईएस) एल्गोरिदम का उपयोग करके जे एस ओ एन प्रारूप में एन्क्रिप्ट किया गया था। यह एन्क्रिप्टेड डाटा सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया गया था जो सर्वर पर, पहुंच केवल महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तक ही सीमित है।

आयोग ने, मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक पहलुओं के संबंध में लगभग १५० से अधिक सुसंगत प्रश्नों की एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार करने पर एकत्र किए गए व्यापक समसामयिक डाटा की जांच की है। प्रश्नावली इस प्रकार तैयार की गई थी कि समाज में मराठा समुदाय की स्थिति और समाज के अन्य वर्गों की तुलना के संबंध में आज की तारीख में वैज्ञानिक और यथार्थवादी स्थिति का पता चल सकें।

आयोग ने, अपने द्वारा नियुक्त सरकार और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों, सामाजिक वैज्ञानिकों, सांख्यिकीविदों और समाजशास्त्रियों के एक पैनल के माध्यम से सभी स्रोतों से एकत्र किए गए ताजा मात्रात्मक समसामयिक डाटा और जानकारी की विस्तृत जांच, जांच और विश्लेषण किया है; और राज्य के विभागों, सरकारी एजेंसियों, पूर्व गठित घटकों द्वारा राज्य में किए गए अन्य समकालीन सर्वेक्षणों के साथ निष्कर्षों का मिलान किया, साथ ही ऐतिहासिक डाटा और केस अध्ययनों के साथ भी किया है।

९. आयोग ने १६ फरवरी २०२४ को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा है :—

(क) शैक्षणिक संकेतक स्पष्ट रूप से मराठा समुदाय के कम शिक्षा प्राप्ति स्तर को दर्शाते हैं, विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा पूरी करने और स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्राप्त करने के संदर्भ में है।

(ख) आर्थिक पिछड़ापन शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा है। अपर्याप्त शिक्षा अक्सर गरीबी को आमंत्रित करती है और इसके विपरीत परिणाम भी होते है।

(ग) गरीबी रेखा से नीचे और पीले राशन कार्ड वाले मराठा परिवार २१.२२ प्रतिशत हैं जबकि गरीबी रेखा से नीचे खुली श्रेणी के परिवार १८.०९ प्रतिशत हैं। मराठा परिवारों का प्रतिशत राज्य के औसत (१७.४ प्रतिशत) से अधिक है, यह दर्शाता है कि वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।

(घ) विद्यालयों, सरकारी (मंत्रालय और क्षेत्रीय कार्यालयों) अर्ध-सरकारी विभागों जैसे जिला परिषदों, विश्वविद्यालयों आदि जैसे रोजगार में मराठों के प्रतिनिधित्व के संबंध में तालिकाओं के सारांश से यह पता चलता है कि सभी क्षेत्रों में मराठा वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। सार्वजनिक नौकरियों में और इसलिए, सेवाओं में पर्याप्त मात्रा में आरक्षण के संदर्भ में विशेष सुरक्षा का हकदार है।

(ङ) यह पाया गया है कि गैर क्रीमी लेयर श्रेणी मराठा समुदाय का ८४ प्रतिशत है, जो इंद्रा साहनी मामले में आयोजित रोजगार और शिक्षा में पर्याप्त आरक्षण के संदर्भ में उचित सुरक्षा का हकदार है।

(च) जैसा कि इस कमजोर मराठा समुदाय की वित्तीय स्थिति के आंकड़ों से पता चलता है, यह खुले प्रवर्ग, अउन्नत वर्ग की तुलना में भी बहुत कम है और इसलिए, एक विशेष सुरक्षा का हकदार है।

(छ) आयोग ने मात्रात्मक डाटा के अलावा एकत्र किए गए सांख्यिकीय अनुभवजन्य डाटा के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला है कि कमजोर मराठा वर्ग को अपने प्राथमिक स्रोत के कारण एक दशक से घोर गरीबी का सामना करना पड़ा है। आय कृषि से होती जा रही है और हर साल उतनी ही कम होती जा रही है। समुदाय काफी हद तक मजदूरों, माथाडी कामगार, हमाल, चपरासी, सफाई कर्मचारी, सहायक, घरेलू काम करने वाले, डबा वाले, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड आदि द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर रहा

है। समुदाय द्वारा निम्न श्रेणी का काम किया जा रहा है और इसलिए उन्हें समाज में निचले तबके, अज्ञानी और उपेक्षित वर्ग के रूप में देखा जाता है।

(ज) किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों के प्रतिशत से पता चलता है कि ऐसी आत्महत्या करने वालों में ९४ प्रतिशत लोग मराठा समुदाय से हैं।

(झ) मराठा समुदाय की आर्थिक स्थिति तब से कृषि से घटते रिटर्न, भूमि जोत के विखंडन, कृषि से जुड़ी पारंपरिक गरिमा की हानि, युवाओं के शैक्षणिक प्रशिक्षण पर ध्यान की कमी आदि के कारण चिह्नित हुई है।

(ञ) मराठा वर्ग अपनी अशिक्षा और उच्च शिक्षा की कमी के कारण सम्मानजनक नौकरियों, रोजगारों में प्रवेश नहीं कर सका जो उन्हें समाज में कुछ स्थान दिला सके। प्रवेश स्रोतों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप स्नातक, स्नातकोत्तर और/या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे शिक्षा के उच्च क्षेत्रों में समुदाय के न्यूनतम प्रतिशत का प्राथमिक कारण पाया गया।

(ट) जनसंख्या के प्रतिशत के आंकड़े बताते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या का रोजगार, सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसके कारण समुदाय का एक बड़ा वर्ग पीछे छूट गया है और राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से बाहर हो गया है।

(ठ) दो दशकों से अधिक अनुभवजन्य डाटा और मात्रात्मक डाटा से पता चला है कि कमजोर मराठा समुदाय पूरी तरह से मुख्यधारा से बाहर है। मराठा वर्ग न केवल विशुद्ध रूप से आर्थिक पिछड़ेपन के मामले में बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के पहलू पर भी मुख्य धारा से पूरी तरह से बाहर है।

(ड) प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, मराठा वर्ग को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का ऐसा उचित प्रतिशत प्रदान करने की आवश्यकता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद १६ (४) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उचित, निष्पक्ष और उचित हो । भारत की इसी प्रकार, वंचित मराठा वर्ग के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद १५(४) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सीटों का उचित प्रतिशत आबंटित करने की आवश्यकता है।

(ढ) आयोग द्वारा संग्रहित और विश्लेषण किया गया डाटा यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करता है कि समुदाय को राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य में इसकी संख्यात्मक ताकत के आधार पर इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। यह पहलू आयोग को केवल शैक्षणिक और सार्वजनिक रोजगार क्षेत्र में आरक्षण के लिए कमजोर मराठा समुदाय के लिए एक अलग श्रेणी बनाने की सिफारिश करने के लिए प्रेरित करेगा।

(ण) आयोग ने, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित आरक्षण के मामलों और उदाहरणों की जांच की है, जहां कई राज्यों ने ५० प्रतिशत के बेंचमार्क को पार कर लिया है। बिहार राज्य ने पदों और सेवाओं (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) की रिक्तियों का बिहार आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०२३ अधिनियमित किया है, बिहार राज्य ने, उपयुक्त वर्गीकरण करना आवश्यक समझा ताकि पिछड़े वर्गों में अत्यधिक पिछड़ा समायोजन किया जा सके। तमिलनाडु राज्य ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग अधिनियम बनाया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन, सेवाओं में पदों की नियुक्ति) अधिनियम, १९९३ जिसके

अधीन ६९ प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। ५० प्रतिशत से अधिक आरक्षण के ऐसे मामलों की आयोग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई है। आयोग का मानना है कि यदि आवश्यक प्रावधान करने के लिए कोई विशिष्ट, अद्वितीय या विशिष्ट परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तो ५० प्रतिशत के बेंचमार्क को पार किया जा सकता है। ५० प्रतिशत से अधिक का ऐसा आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद १४ के अधीन, तर्कसंगतता और/या समझदार अंतर की कसौटी पर खरा उतरेगा।

(त) आयोग ने, पाया कि कमजोर मराठा समुदाय एक ऐसा वंचित वर्ग है जिसे मौजूदा पिछड़े वर्गों की तुलना में अलग से वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि, दशकों से मराठा वर्ग के असाधारण पिछड़ेपन पर ध्यान न दिए जाने के परिणामस्वरूप राज्य में एक बहुत ही अजीब, अनोखी और असामान्य स्थिति मौजूद है, इस पर तत्काल ध्यान देने और समाधान निकालने की आवश्यकता है।

(थ) आयोग का मानना है कि मराठा वर्ग की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का २८ प्रतिशत है। पहले से ही बड़ी संख्या में जातियों और समूहों को आरक्षित श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें कुल मिलाकर लगभग ५२ प्रतिशत आरक्षण मिलता है। इसलिए, राज्य में, २८ प्रतिशत मराठा वर्ग को उक्त ओबीसी श्रेणी में रखना पूरी तरह से असमान होगा। मराठा वर्ग का पिछड़ापन पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से ओबीसी से इस अर्थ में अलग है कि, यह अपने कवरेज के मामले में अधिक व्यापक है, यह अपनी पैठ में भिन्न है और अपने चरित्र में और अधिक प्रतिगामी है। इसके द्वारा आयोग पाता है कि अनुच्छेद ३६६ (२६ग) के साथ पठित अनुच्छेद ३४२क के अधीन, संवैधानिक संशोधनों के साथ, यह वह वर्ग है जिसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में और एक ऐसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए जो मौजूदा अन्य आरक्षित श्रेणियोंसे से अलग और भिन्न हो।

(द) आयोग का मानना है कि, उपर्युक्त विशिष्ट विशेषताओं और जाल के कारण कमजोर मराठा वर्ग पिछड़े वर्ग और/या के बीच कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है, खुला वर्ग, आरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया वर्गीकरण अनुचित और/या मनमाना नहीं होगा। इसके विपरीत, ऐसे वर्ग को यथोचित पर्याप्त सीमा तक आरक्षण प्रदान करने का कोई भी उपचारात्मक उपाय संविधान के निदेशक सिद्धांतों के साथ पढ़े गए अनुच्छेद १४, १५ और १६ के तहत्, अनुज्ञेय सुरक्षात्मक भेदभाव के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई के राज्य के दायित्व के अनुरूप होगा। भारत का संविधान समता, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के हित में है ।

(ध) कमजोर मराठा समुदाय के लिए आरक्षण समय की मांग है और आवश्यक है, न केवल इसे एक मंच उपलब्ध कराने के लिए जिसका उपयोग यह अपनी सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के लिए कर सकता है बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों को वर्तमान स्तर से नीचे जाने से रोकने के लिए भी कर सकता है। यदि, तत्काल आधार पर ऐसा नहीं किया गया, तो समुदाय और भी बदनाम हो जाएगा, जिससे पूर्ण सामाजिक असंतुलन, सामाजिक बहिष्कार, असमानताएं बढ़ेगी और सामाजिक अन्याय की घटनाएं बढ़ेगी।

(न) आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि, समुदाय ने सामाजिक पिछड़ेपन के ऐसे सभी मानदंडों पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस समुदाय की व्यावसायिक पहचान राज्य में सामाजिक पदानुक्रम में गौण और/ या बेशुमार मानी जाती है।

(प) रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि, मराठा वर्ग का लोक सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा में भी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और इसलिए, असाधारण परिस्थितियों और असाधारण परिस्थितियों के मध्यनजर आरक्षण का हकदार है।

१०. आयोग ने, राज्य के कोने-कोने से और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के सभी संभावित संसाधनों, मात्रात्मक और अनुभवजन्य डाटा, पुस्तकों, लेखों, राय, सुझावों, परामर्शों और यहां तक कि असहमतियों से संग्रहित किए गए व्यापक डाटा पर विचार करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया है। निम्नानुसार सिफारिशें करने का निर्णय लिया है :

(एक) मराठा समुदाय को राज्य के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों का एक वर्ग घोषित करने की सिफारिश की गई है, जिसका सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है;

(दो) राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२क और अनुच्छेद ३६६ (२६ग) के तहत्, मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की आवश्यकता है ;

(तीन) कमजोर मराठा समुदाय को विद्यमान आरक्षित श्रेणियों से प्रतिशत के अलग संप्रदाय को विशिष्ट और अलग आरक्षण की जरूरत है ;

(चार) राज्य सरकार पिछड़े मराठा समुदाय के प्रतिशत की सीमा बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए कमजोर मराठा समुदाय को आरक्षण दिये जाने के लिये आरक्षण के पर्याप्त प्रतिशत पर निर्णय ले सकेगी ;

(पाँच) भारत के संविधान के अनुच्छेद १६ (४) के राज्य के दायित्व के रूप में रोजगार में आरक्षण के ऐसे पर्याप्त प्रतिशत आरक्षण देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद १५(४) के अधीन दायित्व के रुप में शिक्षा में उचित प्रतिशत आरक्षण देना उचित और निष्पक्ष होगा। इसे राज्य अपनी विवेकता से उपयुक्त और उचित समझता है ताकि, उक्त वर्ग को उसके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से उन्नत करने के लिए एक सही दिशा में एक कदम के रुप में शुरुआत की जा सके। सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में उसे लाया जा सके ;

(छह) राज्य अपनी विवेकता से कमजोर मराठा समुदाय द्वार प्राप्त ऐसे आरक्षण के लाभों की प्रत्येक १० वर्षों में ऐसी आवधिक पुनर्विलोकन कर सकती है और ऐसे समुदाय के प्रतिशत के निर्धारण पर सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में लाना है तो अपने विवेक से ऐसे प्रतिशत को रुपांतरित कर सकेगी।

११. महाराष्ट्र सरकार ने आयोग के रिपोर्ट, निष्कर्षों, तथ्यों और सिफारिशों पर समुदाय सावधानीपूर्वक विचार किया है और उसे स्वीकार भी किया है। मराठा समुदाय के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर आयोग के विस्तृत अध्ययन करने के आधार पर उसमें अनुभवाधिष्ठित, परिमानात्मक और समकालीन डाटा, तथ्य और उसमें दिये गये आँकड़े के अनुसार सरकार की राय है कि,—

(क) मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का है और भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२क(३) के अधीन ऐसे वर्ग के रुप मे विनिर्दिष्ट किया जाये और भारत के संविधान के अनुच्छेद १५(४), १५(५) और १६(४) के अधीन उस वर्ग के लिये आरक्षण दिया जाये ;

(ख) असाधारण परिस्थितियाँ और असाधारण स्थितियाँ मौजूद हैं जैसा कि आयोग द्वारा कहा गया है, जिसके लिए मराठा समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में सीटों का आरक्षण और लोक सेवाओं और पदों में आरक्षण के ५० प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने का प्रमाणित किया है ;

(ग) मराठा समुदाय को लोक सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश में आरक्षण के दस प्रतिशत के लिए उपबंध करना आवश्यक व इष्टकर है ;

(घ) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, लोक सेवाओं में और भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खंड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से अन्य शैक्षणिक संस्थानों मे प्रवेश के लिए आरक्षण देने के लिए विधी द्वारा विशेष उपबंध करना इष्टकर है।

१२. भारत के संविधान के अनुछेद ३४२क का खंड (३) राज्य को विधि बनाने, राज्य के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार देता है। राज्य विधि द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद १५(४), १५(५) और १६(४) के अधीन शैक्षणिक संस्थानों और लोक सेवाओं में ऐसे वर्गों को आरक्षण दे सकता है।

१३. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को महाराष्ट्र राज्य के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करने और राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिये सीटों के आरक्षण और ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को उनकी उन्नति के लिए और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य के अधीन लोक सेवाओं और पदों में नियुक्तियों के लिए पदों का आरक्षण देने के लिए एक नया विधि बनाना इष्टकर समझती है।

१४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २० फरवरी, २०२४।

एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड ७.—(क) उप-खण्ड (१) के अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिये, सक्षम प्राधिकारी को जिला समाज कल्याण अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करने के लिये, राज्य सरकार को, शक्ति प्रदान की गई है।

(ख) खण्ड (२) के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का अनुपालन करने के लिये, राज्य सरकार को, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १७ (१).—इस खण्ड के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिये राज्य सरकार को, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १९ (१).—इस खण्ड के अधीन, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में उद्‌भूत किसी कठिनाई के निराकरण करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है ।

(यथार्थ अनुवाद)

श्रीमती विजया डोनीकर,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २० फरवरी, २०२४।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) कार्यभार,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई